

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख वाद संख्या—15/2020-21(14)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
<u>03/09/2020</u>	<p>वाद का प्रकार—विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074/रा०, दिनांक—13.05.2016 सहपटित— श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू—अर्जन—सह—विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या—3—खा०म०निति—119/85/2308/रा०, दिनांक—03.09.1985 एंव सह—पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या—914/रा०, दिनांक—09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूरआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि <u>मौजा—जौड़ीहा</u>, थाना नं—119, खाता संख्या—10 प्लॉट संख्या—<u>3.87 एकड़ी</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूरआ खास, अनावाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी—II के जिल्द संख्या—<u>मिट्टी पिता रुद्र मिट्टी</u> के पृष्ठ संख्या—118 पर जमाबंदी रैयत <u>जौबजीवरा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी द्विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू—खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण—पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक—<u>19/09/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">(6) 9/10 03/09/2020</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

मन्त्रालय  
19/9/2020

अभिलेख प्रधानमंत्री : अटिस नहीं का द्वारा। निहाईने निहाई नहीं जानवरी  
इयत / जानवरी ईयत के सजावत के दृश्य सक्ति भूमि से संबंधित किसी एकत्र का दस्तावेज  
भव्यपित यही किया गया और यही जानवर पक्ष की रखा गया।

लेकिन सकत जानवरी को अदृश्य मानते हुए इसे विहार (आरखण्ड) भूमि सुनार अधिकारियम  
1950 की धारा 4(1) के सहज जानवरी को न करने हेतु अनुशासा की जाती है। अपेक्षा  
करीबाहू हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुनार संघसमाजती को भेजे।

१९/९/२०

संचल अधिकारी  
गोदिन्दपुर

## संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जॉच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- बृंशपीया भिंडा चेहू जिभा

2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
भिंडीदा	११९	१०	—	३.४७ ए०

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या ..... — पृष्ठ सं०— ११८ ..... पर कायम है—

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है— १९७८

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- अगवाड भिंडा भट्टा (३५२३१०५)

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई हैः —

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- —

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिवार्य सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण — /अवैध भूबन्दोबस्ती) —

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू—हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एंव वर्ष —

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	७१८६१५	३०-११-७४	१९७८
2	४०११५७३७	२४१०-७७	१९९९

अंकित गोक्कुप्त

आकर्ता गुलाम भिंडा भिंडीदा ११९ के पंजीया नं० ११८ में जाली नं० ११८ में जाली  
भूमि भिंडीदा भिंडा भिंडा स्पेशल भिंडा, आता सं० १० रकबा ३.४७ ए०, प्लॉट  
पृष्ठ गढ़ी है। इसका वर्ष १९९९ का है उधार है। उधार का कोलाहा २९८८ है। उधार की  
ठेकावा भिंडा के आनंद भट्टा भिंडीदा की मूल है जो ३२१ वर्षों के दूर की जाती है। जॉच  
परीक्षा होता है।